

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 19.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

नाबालिग को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने का वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 444/19 धारा 363/366 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त सद्धाम पुत्र हैदर निवासी हैंसर बाजार सोनाड़ी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 07.07.2019 को वादिनी की लड़की को बहला- फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 12.09.2019 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 19.09.2019 को अपहृता को बरामद कर परिजनों को सौपा गया व अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, का0 आकाश कुमार, म0का0 कुसुम वर्मा ।

वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता – रामबचन पुत्र बालक राजन कुमार निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता – श्रीमती गुलाची देवी झिनकान पुत्र लालसा निवासी महुवारी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा दो पक्षों मे हो रहे विवाद को कराया शांत –पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 0887 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों मे मारपीट / विवाद होने के संबंध मे सूचना दिया । इस सूचना पर पीआरवी कर्मि तत्काल 05 मिनट मे मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेंहदावल के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 प्रभुनाथ राय, आ0 अखिलेश पाण्डेय, आ0चा0 मनोज राय ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार –

- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 02 वाहन चालान व 13 वाहनो से 16800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 19-09-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 02 वाहन चालान व 13 वाहनो से 16800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 19-09-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 23 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 63 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।